

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला
67/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

लादी पत्नि अमरचन्द बावरी नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां

— प्रार्थिया

बनाम

- 1— उदयलाल पिता मोहन भील नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां
- 2— शान्ति पत्नि मिठू बावरी नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां
- 3— बिन्जालाल पिता उँकार बावरी नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां
- 4— सोहन पिता गंगाराम बावरी नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां
- 5— बालू पिता मदन भील नि० नई राज्यास तह० फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कनेछन खुर्द पटवार हल्का कनेछन खुर्द तहसील फूलियाकलां में प्रार्थिया के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 205 आ०न० 458 रकबा 0.51 है०, आ०न० 459 रकबा 0.51, आ०न० 460 रकबा 0.51 है०, आ०न० 462 रकबा 0.51 है० कुल किता 04 रकबा 2.04 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 5 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में



तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां को भेजकर लेखा है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलियाकलां जिला-भीलवाडा